<u>न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

<u>1. अपीडी/टीए/5563/2006/बांरा</u>

भंवरलाल उर्फ भवंरया पिता देवलाल जाति गूर्जर निवासी ग्राम खल्दी तहसील किशनगंज जिला बांरा

अपीलार्थी

बनाम

1 मदनलाल (मृतक) पुत्र पन्नालाल जाति नाई जरिये वारिसान
1/1 भूली बाई बेवा मदनलाल
1/2 मांगलाल पुत्र मदनलाल
1/3 नरेन्द्र मोहन पुत्र मदनलाल सभी जाति नाई निवासी खडिया (रजलोका) तहसील किशनंगज
2 राजस्थान सरकार

प्रत्यर्थीगण

<u>2. अपीडी/टीए/5564/2006/बांरा</u>

भंवरलाल उर्फ भवंरया पिता देवलाल जाति गूर्जर निवासी ग्राम खल्दी तहसील किशनगंज जिला बांरा

अपीलार्थी

बनाम

1 भवंरलाल पुत्र प्रताप जाति कुम्हार
2 रामनारायण पुत्र प्रताप जाति कुम्हार
3 रामनाथ पुत्र प्रताप जाति कुम्हार सभी निवासी ग्राम खल्दी
4 श्रीमती जानकी बाई पुत्री प्रताप पत्नी बिरधीलाल जाति कुम्हार निवासी ाम कोयला तहसील बांरा
5 श्रीमती नन्दू बाई पुत्री प्रताप पत्नी छीतरलाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम बामला तहसीसल बांरा
6 दी स्टेट आफ राजस्थान

प्रत्यर्थीगण

खण्ड पीठ
श्री मोडूदान देथा, सदस्य
श्री धूकलराम कसवा, सदस्य

उपस्थितः श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी वकील अपीलार्थी
श्री मुकेश जैन वकील प्रत्यर्थीगण

1.अपीडी/टीए/5563/2006/बांरा
2.अपीडी/टीए/5564/2006/बांरा

निर्णय

दिनांकः.26.3.2019

उक्त दोनों अपीले धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा प्रकरण संख्या 135/2004 एवं 137/2004 में पारित निर्णय दिनांक 26.7. 2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2. उक्त दोनों अपीलों के तथ्य, पक्षकार एवं विवाद की विषयवस्तु तथा कानूनी बिन्दु एक समान होने से दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की प्रार्थना स्वीकार कर एक साथ बहस सुनी जाकर एक ही निर्णय से निर्णीत की जा रही हैं। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर रखी जावे।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी अपीलार्थी भवंरलाल उर्फ भवंरया गूजर ने एक वाद संख्या 17/02 अधिनियम की धारा 88, 89, 90 व 188 के अन्तर्गत मदनलाल प्रतिवादी के विरूद्ध ग्राम खल्दी स्थित आराजी खसरा नम्बर 201 रकबा 21 बीघा 4 बिस्वा के संबंध में उपखण्ड अधिकारी, किशनंगज के समक्ष प्रस्तुत किया तथा निवेदन किया कि उक्त आराजी सम्वत 2012 से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व से वादी के कब्जे काश्त में चली आ रही है। वादी ने उक्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 से खरीदी है तथा उसकी तहरीर वादी के पक्ष में अंकित की गई थी परन्तु वह चोरो होने से नष्ट हो गई। वादी का एडवर्स पजेशन हो गया है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जावे। प्रतिवादी ने इसका जबाबदावा प्रस्तुत कर वाद का खण्डन किया।

4. इसी प्रकार वादी भवंरलाल उर्फ भवंरया गुजर ने एक अन्य वाद संख्या 10/2002 प्रतिवादी भंवरलाल पुत्र प्रताप कुम्हार व अन्य के विरूद्ध धारा 88, 89, 90 व 188 के अन्तर्गत ग्राम खल्दी स्थित आराजी खसरा नम्बर 206 रकबा 11 बीघा 128 बिस्वा व खसरा नम्बर 207 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा के संबंध में इन्हीं आधारों पर उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज के समक्ष प्रस्तुत कर विवादित आराजी सम्वत 2012 से पूर्व से स्वंय के कब्जे में होना एवं विक्रय तहरीर चोरी होने से नष्ट होना तथा एडवर्स पजेशन से खातेदारी घोषित किये जाने के निवेदन के साथ प्रस्तुत किया। प्रतिवादीगण ने इसका जबाबदावा प्रस्तुत कर वाद का खण्डन किया।

5. विचारण न्यायालय ने दोनों ही प्रकरणों में दावे व जबाबदावे के आधार पर आवश्यक तनकियात कायम की एवं निर्णय दिनांक 13. 2.04 से वादी के उक्त दोनों वाद खारिज कर दिये तथा वाद

संख्या 17/2002 के निर्णय में काउन्टर क्लेम प्रतिवादी का स्वीकार किया जाता है। इसी वाद की डिक्री में काउन्टर क्लेम प्रतिवादी स्वीकार किया जाता है। वादी को भूमि से बेदखल किया जाकर कब्जा प्रतिवादी को दिलाया जावे के अंकन के साथ डिक्री जारी की है। वाद संख्या 20/2002 में अंकन वाद संख्या 17/2002 की डिक्री के अनुरूप अंकन है। इसके विरूद्ध वादी अपीलार्थी ने भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के न्यायालय में प्रथम अपीले प्रस्तुत की। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपील संख्या 135/2004 एवं 137/2004 दर्ज कर दोनों अपीलों का निर्णय एक साथ करते हुए दोनों पक्षो को सुनकर निर्णय दिनांक 26.7.2006 से दोनों अपीले खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने उक्त दोनों अपीले इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

6. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में तर्क दिया कि वादी अपीलार्थी ने दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों से विवादित भूमि पर वादी का कब्जा काश्त होना एवं एडवर्स पजेशन से खातेदार होना साबित किया है। तनकी संख्या 1 व 2 का निर्णय वादी के पक्ष में होना चाहिये था। परन्तु दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने साक्ष्यों को देखे बिना ही निर्णय दिया है। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने यह भी तर्क दिया कि प्रतिवादी प्रत्यर्थीगण की ओर से दोनों ही दावों में काउन्टर क्लेम प्रस्तुत ही नहीं किया गया था तथा बेदखली का अनुतोष नहीं मांगा गया था। परन्तु विचारण न्यायालय ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अनावश्यक रूप से काउन्टर क्लेम स्वीकार कर बेदखली का अनुतोष दिया है जो निराधार एवं अनुचित है। अतः दोनों अपीले स्वीकार की जावे।

7. विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण ने अपनी बहस में तर्क दिया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती हैं जिनमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। विवादित आराजी प्रत्यर्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे की भूमि है। विवादित भूमि का बेचान किया जाना साबित नहीं है। कच्ची तहरीर से बेचान साबित नहीं होता है। विवादित भूमि पर वादी का एडवर्स पजेशन होना भी साबित नहीं कराया गया है। विचारण न्यायालय ने अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर निर्णय पारित किया है जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः उक्त दोनों अपीले खारिज की जावे।

8. हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

9. पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि दोनों ही दावों में वादी अपीलार्थी ने एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदार घोषित किये जाने का अनुतोष चाहा है। इसके साथ ही विवादित आराजी

प्रतिवादी से क्रय की जाना एवं विक्रय तहरीर चोरी होने से नष्ट होना कथन किया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने वादी का वाद साबित नहीं होना मानकर निर्णय पारित किया है। इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती हैं जिनमें इस द्वितीय अपील के अन्तर्गत तभी हस्तक्षेप किया जा सकता है जब कोई कानूनी बिन्दु निहित हो। वर्तमान में वादी अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई कानूनी बिन्दु नहीं उठाया गया है जिससे दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णय में हस्तक्षेप किया जा सके। चूंकि वर्तमान में भौतिक अस्तित्व में नहीं है। अपंजीकृत विक्रय पत्र से खातेदारी अधिकार राजस्व न्यायालय द्वारा हस्तान्तरित नहीं हो सकते। तथा एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। ऐसी स्थिति में हम उक्त दोनों अपीलों में कोई सार नहीं पाते हैं एवं खारिज करना न्यायोचित समझते हैं।

10. विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में वाद संख्या 17/2002 में आदेशात्मक पैरा में काउन्टर क्लेम प्रतिवादी का स्वीकार किया जाता है तथा वाद संख्या 17/2002 की डिक्री में तथा 20/2002 के निर्णय व डिक्री के आदेशात्मक पैरा में काउन्टर क्लेम स्वीकार कर वादी को बेदखल किये जाने का आदेश दिया है। परन्तु विचारण न्यायालय की पत्रावली में काउन्टर क्लेम उपलब्ध ही नहीं है। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवादीगण द्वारा विचारण न्यायालय में कोई काउन्टर क्लेम प्रस्तुत ही नहीं किया है। इसी कारण विचारण न्यायालय द्वारा दोनों ही दावों में काउन्टर क्लेम के आधार पर कोई तनकी भी नहीं बनाई गई है। ऐसी स्थिति में काउन्टर क्लेम स्वीकार कर वादी को बेदखल किये जाने की सीमा तक दिया गया आदेश पक्षकारों के अभिवचन से बाहर का होने से निरस्त किया जाता है। अभिवचन व जबाबदेही के अभाव में ऐसा आदेश स्थिर रखने योग्य नहीं है।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार उपरोक्त निर्देश के साथ उक्त दोनों अपीले खारिज की जाती है तथा भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा का निर्णय दिनांक 26.7.06 यथावत रखा जाता है। विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय में काउन्टर क्लेम स्वीकार कर वादी को बेदखल किये जाने का दिया गया आदेश उपरोक्तानुसार स्थिर रखने योग्य नहीं होने से निरस्त किया जाता है एवं शेष निर्णय व डिक्री यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(धूकलराम कसवा)
सदस्य

(मोडूदान देथा)
सदस्य